न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-101RAAJodhpur2025-29RTA225 Leelaram Vs Sujaram etc

लीलाराम पुत्र दरगाराम जाति सुधार निवासी थुम्बडिया तहसील बागोडा जिला जालोर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. सुजाराम पुत्र गेनाराम
2. सवदा पुत्र गेनाराम
   जाति कलबी निवासी मगा की ढाणी, भाकरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 419/2024 अनवान सुजाराम व अन्य लीलाराम इत्यादि

————————

उपस्थित–
श्री रोशनालाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 419/2024 अनवान सुजाराम व अन्य बनाम लीलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 मार्च 2025 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 623 रकबा 4.5244 हैक्टेयर मौजा मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में आवागमन हेतु अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 557/3 रकबा 1.1493 हैक्टेयर में से प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को तलब किया गया तथा तहसीलदार धोरीमन्ना से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी/अपीलाथी की ओर से उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाट्स/विप्रार्थीगण को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुति का अवसर दिये बाले बाले ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से काबिले निरस्त है। प्रार्थीगण (उत्तरदाता संख्या 1 व 2) के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विविध संख्या 419/2024 पर दर्ज कर प्रथम बार ही जरिये डाक से विप्रार्थीगण (अपीलान्ट) को नोटिस जारी किये गये जो पत्रावली की आदेशिका से भलीभांति प्रमाणित है, जबकि नियमानुसार प्रथम नोटिस तामिल कुन्निदा के माध्यम से प्रेषित किया जाना कानूनन आवश्यक है, परन्तु तामील कुन्निदा अपीलान्ट के नोटिस लेकर कभी उसके घर नहीं आया तथा न ही डाक से प्रेषित कोई नोटिस अपीलानट को प्राप्त हुए है। अपीलान्ट को इस प्रकरण के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डाक के माध्यम से नोटिस भेजना बताकर डाक से नोटिस भेजने की रसीद पेश करने के आधार पर ही अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जबकि अपीलान्ट के नोटिस गलत पते पर भेजे गये है, जिस कारण अपीलान्ट को नोटिस मिलने की कोई सम्भावन नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि डाक से नोटिस मिलने की सूचना या ए.डी. पावती पत्रावली में मौजूद नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट को हस्तगत प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार से जानकारी नहीं दी गई तथा न ही तलबी पूर्ण की गई एवं बिना तलबी व सुनवाई का अवसर दिये आलौच्य आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर. आई. को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने मौके पर गये बिना कार्यालय में बैठकर उत्तरदाता संख्या एक व दो से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। अपीलान्ट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है तथा मात्र उत्तरदाता व उसके चहेते व्यक्तियों के ही ही हस्ताक्षर है। इसके अलावा किसी सेढा पडौसीयान व मौतबिरान के भी हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त मौका फर्द अकेले में उत्तरदाता के दबाव में तैयार की गई है। यह उल्लेखनीय है कि मौका रिपोर्ट में रेस्पो. के खेत से पहुंचने हेतु दो विकल्प दिये गये है तथा अपीलान्ट की भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता नहीं चलता है, परन्तु दूसरे विकल्प खसरा नम्बर 795/624 में मौके पर रास्ता चल रहा है, जिसका उपयोग उतरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा किया जाना भी मौका रिर्पोट मे बताया गया है। साथ ही उतरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का पक्का मकान होना भी मौका रिर्पोट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 557/3 मौके पर आवागमन हेतु खाली नहीं होना भी मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 557/3 के तीनों ओर कांटेदार बाड बनी हुई होना व आवागमन बंद होना मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जिससे यह प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिर्पोट का सही ढंग से अवलोकन किये बिना ही मात्र उतरदाता संख्या 1 व 2 के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए (1) द्वारा यह स्थापित किया है कि किसी भी पक्षकार को बिना क्षति कारित करते हुऐ दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुऐ रास्ता निकाला जाना चाहिये ताकि मौके पर किसी प्रकार का विवाद न बढे, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश से मौके पर विवाद हेतु अपीलान्ट के मकान को हटाते हुये रास्ता निकालने का गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया है। उतरदाता संख्या 1 व 2 का खेत खसरा नम्बर 623 पहले से कटान मार्ग से जुडा हुआ है जो मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है तथा उतरदाता संख्या 1 ने भी जानबुझ कर रास्ता नहीं चाहा जाकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से ही अपीलान्ट को खेत के मध्य से रास्ता स्वीकृत करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक व दो के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका देखा गया, जिसमें अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम रास्ता पाया गया है। अपीलांट द्वारा रास्ता न दिये जाने हेतु पूर्व में विचारण न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त किया गया हो बाद में अपास्त हो गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर 251 ए के प्रावधानों के तहत लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 14.10.2024के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 02 के खातेदारी खसरा नंबर 623 में आवागमन हेतु मौके पर रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प जो अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 557/3 में से जिसकी लंबाई 19 गट्टा बताई गई है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त रास्ते के विकल्प को मौके पर बंद बताया गया है तथा रास्ते की भूमि पर रहवासी मकान निर्मित होना बताया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रास्ते का द्वितीय विकल्प खसरा नंबर 795/624 में से 26 गट्ठा लंबाई का बताया गया है जो मौके पर रास्ते हेतु उपलब्ध है। उक्त भूमि खातेदार आदा दतक पुत्र रामा जाति माली के नाम से दर्ज है। विचारण न्यायालय के सामने यह तथ्य प्रकट होने पर कि वांछित रास्ते की भूमि पर रहवासीय मकान निर्मित है तथा मौके पर रास्ते के आलामात मौजूद नहीं है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंशा एवं प्रावधानों के अनुरूप रास्ते के सुलभ एवं पक्षकारान्

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को कम नुकसान वाले द्वितीय विकल्प अनुसार रास्ता घोषित किये जाने के बजाय अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रथम विकल्प को कटाणी रास्ता घोषित किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 251–ए के प्रावधानों, विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 419/2024 अनवान सुजाराम व अन्य बनाम लीलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 को निरस्त किया जाता है एवं मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा नंबर 795/624 के खातेदारान् को पक्षकार प्रतिस्थापित करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत कम नुकसान वाले विकल्प का चयन करते हुए धारा 251–ए की मंशानुरूप विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम विधिक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर